



राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनु-1) विभाग

प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट


जयपुर, दिनांक: 20.11.2020

“आज्ञा”

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम दिनांक 20 नवम्बर 2020 से 18 जनवरी, 2021 तक निर्धारित किया गया है।

अतः फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अति. जिला कलक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों/पदाभिहित अधिकारियों/सुपरवाइजर्स के पद पर सामान्यतया फील्ड स्तर पर कार्यरत, विभिन्न स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरणों पर आज दिनांक 20 नवम्बर, 2020 से 18 जनवरी, 2021 तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(अरुण प्रकाश शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

मानक वितरण